न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.
प्रकरण : वाद
मुकदमा नम्बरः– 27/2025

1. श्रवणलाल पुत्र शंकरलाल जाति मीना निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार,तहसील कार्यालय मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. सीताराम मीणा पुत्र प्रभूलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम पास्त आंगलवाडाकला खाती बस्ती तहसील चौथ का बरवाडा जिला जयपुर ।

–प्रतिवादीगण

प्रा0पत्रः– बाबत तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 111 राज0भू0राजस्व अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री राधेश्याम लक्षकार अधिवक्ता प्रार्थी उप0।
2. प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनाक :– 26/06/25

प्रार्थी ने प्रा0पत्र0 बाबत तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 111 राज0भू0राजस्व अधिनियम कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद के खाता संख्या 581 के आराजी ख0न0 681 रकबा 0.6200 है0 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है तथा ख0न0 1411/681 रकबा 0.6200 है0 का अप्रार्थी संख्या 02 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का मूल खसरा नम्बर 681 है जिसका पूर्व में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई लक्ष्मीनारायण के नाम से 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन दिनांक 31.05.2010 को किया गया जिसमें उक्त आराजी का विभाजन बराबर बराबर किया गया तथा नक्शा ट्रेस में रकबा भी सही है। हाल ही मे नवीन सैटलमेंट किया गया जिसमे प्रार्थी के खसरा नम्बर 681 का रकबा नक्शा ट्रेस में कम कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी का रकबा बढा दिया गया जबकि प्रार्थी मौके पर विभाजन दिनाक 31.05.2010 के अनुसार ही काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार ही तरमीम करवाना चाहता है। हाल मे दिनाक 20.03.2025 को प्रार्थी ने अपना राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने पर उक्त गलत तरमीम की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहा मौके पर कब्जे व साबिक नक्शे अनुसार एवं तकासमा दिनांक 31.05.2010 अनुसार तरमीम करने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने इंकार कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। वादग्रस्त आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से उक्त प्रा0पत्र0 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र0 स्वीकार किया जाकर वर्तमान नक्शे मे वर्णित खसरा नम्बर 681 व 1411/681 की तरमीम दुरूस्त फरमाई जाकर साबिक नक्शे अनुसार व तकासमा दिनांक 31.05.2010 के अनुसार

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

तरमीम की जावे तथा इस बाबत तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जाए।

प्रार्थीगण का प्रा0पत्र0 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किए गए। विपक्षी संख्या 1 की ओर से ओर पैरोकार रांज उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 बाद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है।

वादीगण के वाद के सन्दर्भ में तहसीलदार मौजमाबाद से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई। प्राप्त जांच रिपोर्टनुसार जमाबंदी के खाता संख्या 581 के खसरा नम्बर 681 प्रार्थी श्रवणलाल पुत्र शंकरलाल कौम मीणा सा0देह के नाम खसरा नम्बर 681 रकबा 0.62 है0 तथा खसरा नम्बर 1411/681 रकबा 0.62 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 02 सीताराम मीणा पुत्र प्रभुदयाल मीणा कौम मीणा निवासी ग्राम पोस्ट आमलवाडा खाती बस्ती तहसील चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का मूल खसरा नम्बर 681 रकबा 1.24 है0 का विभाजन प्रार्थी व प्रार्थी के भाई लक्ष्मीनारायण के बीच सहमति विभाजन तहसील मौजमाबाद के आदेश क्रमांक मु0अ0/10/2907 दिनांक 31.05.2010 को हुआ। जिसका अमल दरामद जमाबंदी मे कर लिया गया है तथा तकासमा के अनुसार मौके पर विभाजन कर लिया जो सही है। उक्त तकासमा से खसरा नम्बर 681 व बट्टा नम्बर 1411/681 की तरमीम रीसीमेशन के समय ऑनलाईन करते समय खसरा नम्बर 681 का रकबा 0.08 है0 कम व 1411/681 का रकबा 0.08 है0 बढ़ गया है जबकि मौके पर कब्जा मुताबिक तकासमा के सही है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र0 मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ प्रार्थी का प्रा0पत्र0 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खाता 581 आराजी ख0न0 681 रकबा 0.62 है0 के राजस्व नक्शे की तरमीम सेगीगेशन से पूर्व नक्शे के अनुसार करवाने का आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रकरण निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है, प्रकरण निस्तारण के क्रम मे तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 581 के आराजी ख0न0 681 की तरमीम वर्तमान नक्शे मे मूल नक्शे (सेग्रिगेशन से पूर्व) के मुकाबले सही नही है। ऑनलाईन नक्शे के आराजी ख0न0 681 व 1411/681 की तरमीम मुताबिक तकासमा के अनुसार नही होकर सेग्रीगेशन के पश्चात बने नक्शे में गलत दर्शित किया जाना स्पष्ट है। अतः तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रा0पत्र0 स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र0 बाबत तरमीम दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 131,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया किया जाकर राजस्व ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 581 के आराजी ख0न0 681 रकबा 0.6200 है0 की वर्तमान तरमीम हटाफ फरमाई जाकर तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तावित नक्शे के अनुसार तरमीम दुरुस्त

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर

उक्त आदेश आज दिनांक 26/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)